मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली

फर्द अहकाम

दिनांक	
23/8	[illegible] 13-8-24
13/8	[illegible] 29-11-24
7/10/24	मुद्दालेह पेश हुए बिलाल हलफी कि [illegible] पर दिया। वादी व वादी वकील [illegible] वादी व वादी वकील [illegible] नहीं बताया जाता है। मुकदमा वादी व वादी वकील मुकदमा मौसूफ के खारिज करना चाहते हैं। अतः मु० 85/23 T.I गोपाल सिंह बनाम [illegible] के खारिज किया जाता है। मुद्दालेह के [illegible] हमारे वकील मजबूर समझे।

गोपालसिंह
मुकदमा खारिज
[illegible]
1.10.24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested